पत्रांक–9/सै0 विविध (कोर्ट केस) 05/2024– 1485 (9A)/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

मोना झा,
उप निदेशक।

सेवा में,

ई–मेल

सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार
सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार,
सभी अंचल अधिकारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक–04/06/26

विषय :– उच्चतर राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में RCMS पोर्टल पर उपलब्ध आदेश से मिलान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, समाहर्त्ता एवं प्रमंडलीय आयुक्त के राजस्व न्यायालय की सभी प्रक्रियाएँ राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के तहत पूर्णरूपेण ऑनलाइन है। RCMS के तहत प्रत्येक राजस्व न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई एवं अंतिम आदेश तक की सभी प्रक्रियाएँ ऑनलाइन माध्यम से निष्पादित की जाती है, जो पोर्टल पर प्रदर्शित होता है।

समाचार पत्रों के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण के नाम से फर्जी आदेश तैयार कर उसका अनुपालन निम्न राजस्व न्यायालय (अंचल कार्यालय) से कराया गया है। इस प्रकार दाखिल–खारिज की प्रक्रिया एवं भूमि संबंधी अन्य मामलों के निष्पादन में अन्य कार्यालयों में भी फर्जीवाड़ा की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः किसी भी उच्चतर राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में RCMS पोर्टल पर उक्त आदेश का निश्चित रूप से मिलान किया जाना आवश्यक है, ताकि किसी प्रकार की फर्जीवाड़ा से बचा जा सके।

अनुरोध है कि उच्चतर राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के समय RCMS पोर्टल पर उपलब्ध आदेश से मिलान करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन
04/6/26
(मोना झा),
उप निदेशक।

पत्रांक–9/सै0 विविध (कोर्ट केस) 05/2024– (9A)/रा0,

बिहार सरकार

<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग</u>

प्रेषक,

मोना झा,
उप निदेशक।

सेवा में,

<u>ई–मेल</u>

<u>सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार</u>
<u>सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार,</u>
सभी अंचल अधिकारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक–......................

विषय :– उच्चतर राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में RCMS पोर्टल पर उपलब्ध आदेश से मिलान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, समाहर्त्ता एवं प्रमंडलीय आयुक्त के राजस्व न्यायालय की सभी प्रक्रियाएँ राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के तहत पूर्णरूपेण ऑनलाइन है। RCMS के तहत प्रत्येक राजस्व न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई एवं अंतिम आदेश तक की सभी प्रक्रियाएँ ऑनलाइन माध्यम से निष्पादित की जाती है, जो पोर्टल पर प्रदर्शित होता है।

समाचार पत्रों के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण के नाम से फर्जी आदेश तैयार कर उसका अनुपालन निम्न राजस्व न्यायालय (अंचल कार्यालय) से कराया गया है। इस प्रकार दाखिल–खारिज की प्रक्रिया एवं भूमि संबंधी अन्य मामलों के निष्पादन में अन्य कार्यालयों में भी फर्जीवाड़ा की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः किसी भी उच्चतर राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में RCMS पोर्टल पर उक्त आदेश का निश्चित रूप से मिलान किया जाना आवश्यक है, ताकि किसी प्रकार की फर्जीवाड़ा से बचा जा सके।

अनुरोध है कि उच्चतर राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के समय RCMS पोर्टल पर उपलब्ध आदेश से मिलान करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन

ह0/–
(मोना झा),
उप निदेशक।

ज्ञापांकः–9/सै0 विविध (कोर्ट केस) 05/2024–...1985...(9A)/रा0, दिनांक–...04/6/26

<u>ई–मेल</u> प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मोना झा) 04/6/26
उप निदेशक।